तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील जारी हुए
13/4/2026	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणो की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :— 16/2026

1. पप्पू खटीक पुत्र रामचंद खटीक जाति खटीक उम्र बालिग निवासी [illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सीमा पत्नि पप्पू खटीक जाति खटीक उम्र बालिग निवासी [illegible] भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द चौहान पुत्र हरिओम चौहान जाति धोबी उम्र बालिग निवासी [illegible] पास श्रीपुरा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)
2. कैलाश पुत्र कालु जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. राजू पुत्र कालु जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कमलेश पुत्र उदयलाल मेघवंशी जाति मेघवंशी उम्र बालिग निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. प्रेम देवी पत्नि गोपाललाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :—

दिनांक -13/4/2026

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री राकेश धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियांकलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम बिजोलियांकलां पटवार हल्का बिजोलियांकलां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 70 पर अंकित आराजी खसरा संख्या 1563/228 रकबा 0.3966 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला—भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 46/2026 तारीख दायर – 12/3/2026

प्रेषिति :– तारीख पेशी – 13/4/2026

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....46......../ 2026 पत्थरगढ़ी बाबत्।

1. पप्पू खटीक पुत्र रामचंद्र खटीक जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सीमा पत्नि पप्पू खटीक जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थीगण

बनाम्

1. गोविन्द चौहान पुत्र हरिओम चौहान जाति धोबी उम्र बालिग निवासी कुंजडो की मस्जिद के पास श्रीपुरा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)
2. कैलाश पुत्र कालु जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. राजू पुत्र कालु जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कमलेश पुत्र उदयलाल मेघवंशी जाति मेघवंशी उम्र बालिग निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. प्रेम देवी पत्नि गोपाललाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम बिजोलियांकलां पटवार हल्का बिजोलियांकलां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 70 पर अंकित आराजी खसरा संख्या 1563/228 रकबा 0.3966 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियांकलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ